

23

बाद / प्रार्थनापत्र बाद जांच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 30-5-23 को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल

17/6/23

पत्रावली महंगाई राहत केम्प एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 केम्प ग्राम पंचायत भीमड़ियास में पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मनबाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये । प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शाह पठ किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

हुकीचन्द सिंहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

तहसील अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

फ़ाइल संख्या - 62/23 प्रा०पञ

- लाली श्री केशव बैरवा निवासी-लांकली तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री गैर, श्री लाली लाली बैरवा निवासी- शिवपुरा(लांकली) तहसील(लांकली)
(संबंधित प्रा०पञ-संक्रम)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956

दिनांक- 17 6-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लांकली पटवार हल्का चारदेस तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 1536, 1744, 1745 कुल किता 03 रकबा 2.1499 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा विन्द नहीं होने से आधे दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 08.05.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र रवीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि 1956 का रवीकार किया जाकर ग्राम लांकली पटवार हल्का चारदेस तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 1536/1738, 1744/1535, 1745/1535 कुल किता 03 रकबा 2.1499 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक दिसवा को 900/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिथति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023